झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 4140/2023

शशि कला सिंह, आयु लगभग 71 वर्ष, पत्नी प्रभु प्रसाद, निवासी सत्यम-शिवम-सुंदरम, डेला टोली, हजारीबागरोड, डाकघर- रीमस, थाना- सदर, रांची, झारखंड-834009

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य

2. दीपशिखा, उम्र लगभग 29 वर्ष, पत्नी शिवम सिंह, पुत्री राजीव रंजन कुमार, निवासी-डुप्लेक्स नंबर 13, अन्नपूर्णा एन्क्लेव, मैत्री मार्ग, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी,डाकघर और थाना- बरीयातु, जिला-रांची, झारखंड

.....प्रतिवादी गण

याचिकाकर्ता के लिएः सुश्री श्रुति श्रेष्ठ, अधिवक्ता

राज्य के लिएः सुश्री नेहाला शर्मिन, विशेष लोक अभियोजक

प्रतिवादीगण संख्या 2 के लिए : श्री सुरेश प्रजापति, अधिवक्ता

उपस्थित
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें दिनांक 07.02.2023 के आदेश से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही शिकायत मामले संख्या 10523/2022 के साथ रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत और जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXI, रांची द्वारा संज्ञान लिया गया है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXI, रांची की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील और सूचना देने वाले/विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए विद्वान वकील संयुक्त रूप से अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 705/2024 की और ध्यान आकर्षित करते हैं जो याचिकाकर्ता और सूचना देने वाले/विरोधी पक्ष संख्या 2 के अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों ने दिनांक 09.01.2024 को संयुक्त समझौता में प्रवेश करके बीस महीने की लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी को निपटाने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है और उनके बीच पूरे विवाद का निपटारा कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, सूचना देने वाला मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, इसलिए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर होगा क्योंकि समझौते को देखते हुए, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना दूरस्थ और धूमिल है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 07.02.2023 के आदेश के शिकायत मामले संख्या 10523/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ संज्ञान लेते हुए और जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम श्रेणी XXI, रांची द्वारा संज्ञान लिया गया है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXI, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

4. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक राज्य की ओर से उपस्थित होते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, राज्य को दिनांक 07.02.2023 के आदेश को रद्द करने और शिकायत मामले संख्या 10523/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही के

साथ-साथ रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसके तहत और जहां संज्ञान के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXI, रांची द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXI, रांची की अदालत में लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर @परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और (2017) 9 एससीसी 641 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था और अनुच्छेद संख्या 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"11. धारा 482 को एक अधिभावी प्रावधान के साथ प्रस्तुत किया गया है। कानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, एक उच्च न्यायालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। ज्ञान सिंह में [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 1188: (2013) 1 एससीसी (सीआरआई) 160: (2012) 2 एससीसी (एल और एस) 988] इस न्यायालय के तीन विद्वत न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर पूर्ववर्ती सिद्धांत को अपनाया और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं। जिन विचारों पर उच्च न्यायालय को विचार करना चाहिए, वे हैं: (एससीसी पृष्ठों 342-43, अनुच्छेद 61)

"61.....संविधि की धारा 320 के अधीन अपराधों को शमिल करने के लिए दांडिक न्यायालय को दिया गया। अंतर्निहित शक्ति व्यापक रूप से पूर्ण होती है और इसकी कोई वैधानिक सीमा नहीं होती है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए। (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर

करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे जघन्य और गंभीर अपराध। भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो, उसे उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है। इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि। ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किसी भी आधार का प्रावधान नहीं कर सकता है। लेकिन अत्यधिक और मुख्य रूप से सिविल फ्लेवर वाले आपराधिक मामले रद्द करने के उद्देश्यों के लिए एक अलग आधार पर खड़े हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराधों से उत्पन्न होने वाले अपराध। या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध

नहीं हैं और न ही इस मामले में शामिल मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध है, बल्कि इस मामले में शामिल अपराध पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित हैं।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां के शिकायत मामले संख्या 10523/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ दिनांक 07.02.2023 का संज्ञान लेने वाला आदेश, जिसके तहत और जहां संज्ञान के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, रांची द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लिया गया है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, रांची की अदालत में लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।
9. तदनुसार, दिनांक 07.02.2023 के आदेश को 2022 के शिकायत मामले संख्या 10523 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ संज्ञान लेते हुए और जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, रांची द्वारा संज्ञान लिया गया है, जो अब विद्वान, न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग कर दिया गया है।

10. नतीजतन, इस विविध आपराधिक याचिका की अनुमति है।

11. तत्काल आपराधिक विविध याचिका संख्या के निपटान को देखते हुए अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 705/2024 का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी,न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 12 फरवरी, 2024
यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।